पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जनवरी, 2017 ई0 (माघ 01, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–03

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	65–115	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	17–21	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

अधिसूचना

04 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 12/X–3–17–08(83)/2001–श्री राज्यपाल महोदय, एतद्द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2003) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड जैव विविधता नियमावली, 2015" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ–

इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "अधिनियम" से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2003) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "जैव विविधता प्रबन्ध समिति" से अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "अध्यक्ष" से उत्तराखण्ड राज्य जैव विविधता बोर्ड अथवा जैव विविधता प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, अभिप्रेत है;

(च) "फीस" से इस नियमावली के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गयी फीस अभिप्रेत है;

(छ) "प्ररूप" से इस नियमावली में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ज) "सदस्य" से राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य अथवा जैव विविधता प्रबन्ध समिति अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति जैसी भी स्थिति हो, के सदस्य अभिप्रेत हैं;

(झ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ञ) "सदस्य सचिव" से बोर्ड के सदस्य सचिव अभिप्रेत हैं;

(ट) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं।

3. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की रीति–

(1) बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति में से जो जैव विविधता के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग तथा लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयों में ज्ञान एवं अनुभव रखता हो–

(क) जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष पद से अनिम्न पद पर कार्यरत हो अथवा ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुआ हो तथा उप नियम (1) में उल्लिखित सम्बन्धित विषयों का न्यूनतम 25 वर्षों का कार्य अनुभव धारित करता हो, अथवा

(ख) जिसकी अधिकतम आयु 62 वर्ष हो तथा जैव विविधता के संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग और लाभों के साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयों में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव धारित करता हो, में से की जायेगी।

(2) राज्य सरकार, अध्यक्ष के चयन हेतु, चयन समिति का गठन निम्नवत् कर सकेगी–

(एक)	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष,
(दो)	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	–	सदस्य,
(तीन)	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	–	सदस्य,
(चार)	प्रमुख सचिव, कार्मिक	–	सदस्य,
(पाँच)	महानिदेशक, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् अथवा उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य।

परन्तु यह कि आवेदक स्वयं चयन समिति का सदस्य नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, चयन समिति का एक सदस्य नामित कर सकेंगे।

(3) अध्यक्ष का पद रिक्त होने से तीन माह पूर्व निम्नवत् गठित खोज समिति द्वारा अधिकतम 05 योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चयन समिति को प्रेषित की जायेगी–

(एक)	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	–	अध्यक्ष,
(दो)	कार्यरत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड	–	सदस्य,
(तीन)	प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड	–	सदस्य।

परन्तु यह कि आवेदक स्वयं खोज समिति का सदस्य नहीं होगा तथा ऐसी स्थिति में राज्य सरकार, खोज समिति का एक सदस्य नामित कर सकेगी।

(4) चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी की अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(5) चयन समिति एवं खोज समिति की समस्त कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु अपर सचिव, वन, सदस्य सचिव होंगे परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

4. अध्यक्ष की पदावधि–

(1) बोर्ड का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(2) अध्यक्ष का कार्यकाल, यदि वह अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व नियुक्त हुआ हो, तो 03 वर्ष का होगा परन्तु अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के बाद नियुक्त होने की स्थिति में अधिकतम 65 वर्ष तक अथवा 03 वर्ष कार्यकाल, जो भी पहले हो, तक के लिये होगा।

(3) अध्यक्ष, राज्य सरकार को न्यूनतम एक माह पूर्व लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है।

5. अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते–

(1) नियम 3(1) (क) के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी सेवक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर देय वेतन व अन्य भत्ते वही होंगे जो वे अपने पद पर अन्यथा प्राप्त करते।

(2) नियम 3(1) (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में होने पर, उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को देय वेतन व अन्य भत्ते के समरूप तथा राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित/देय होगा।

(3) सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी से भिन्न श्रेणी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने पर वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे, जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

6. विशेषज्ञ सदस्यों की पदावधि एवं भत्ते–

(1) बोर्ड का विशेषज्ञ सदस्य, नाम निर्देशन की तिथि से, एक समय में, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) विशेषज्ञ सदस्य, ऐसे बैठक भत्ते, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ते तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा, जैसा समय–समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय।

7. विशेषज्ञ सदस्य के त्याग–पत्र के कारण रिक्तियों का भरा जाना–

(1) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड में कुल 05 विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त किये जायेंगे। बोर्ड का कोई विशेषज्ञ सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को लिखित में सम्बोधित कर व हस्ताक्षर से अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेगा तथा बोर्ड में उस सदस्य का पद, उसके त्याग–पत्र देने की तारीख से रिक्त हो जायेगा।

(2) बोर्ड में किसी विशेषज्ञ सदस्य की आकस्मिक रिक्ति, नए नाम निर्देशन द्वारा की जायेगी तथा रिक्ति को भरने के लिए नाम निर्देशित व्यक्ति, उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

8. बोर्ड का सदस्य–सचिव तथा पदेन सदस्यों की नियुक्ति–

(1) राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्य–सचिव की नियुक्ति ऐसे उपयुक्त कार्यरत राजकीय अधिकारियों, जो वन संरक्षक स्तर से अनिम्न श्रेणी के पदधारक अथवा समकक्ष वेतनमान/ग्रेड वेतन आहरित करते हों तथा जिन्हें जैव विविधता के संरक्षण एवं पोषणीय उपयोग के विषय में ज्ञान तथा अनुभव हो, में से की जायेगी।

(2) बोर्ड के चार पदेन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों जैसे वन, पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, उद्यान, जैव प्रौद्योगिकी आदि में से किया जायेगा।

9. बोर्ड के सदस्य–सचिव के कृत्य–

(1) बोर्ड के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, बोर्ड के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन, निधियों के प्रबन्धन तथा विभिन्न क्रिया–कलापों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सदस्य–सचिव, कार्यालयाध्यक्ष की भाँति कार्यवाही करेंगे।

(2) अध्यक्ष द्वारा पारित समस्त आदेश या अनुदेश सदस्य–सचिव अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होंगे।

(3) सदस्य–सचिव अथवा अन्य अधिकारी, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अनुमोदित बजट के सापेक्ष समस्त भुगतानों को स्वीकृत तथा संवितरित कर सकेगा।

(4) सदस्य–सचिव, बोर्ड के गोपनीय अभिलेखों सहित समस्त अन्य अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा तथा बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जाने पर, वह ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

(5) सदस्य–सचिव, बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखेगा तथा उन्हें अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करायेगा।

(6) सदस्य–सचिव, ऐसे अन्य कृत्यों को सम्पादित करेगा, जैसा अध्यक्ष/बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे जाएं।

10. बोर्ड का मुख्यालय–

बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित होगा।

11. बोर्ड की बैठकें–

(1) बोर्ड की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक त्रैमास में एक बार, बोर्ड के मुख्यालय अथवा ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय, आहूत की जायेंगी।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड के न्यूनतम छः सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अथवा यथास्थिति प्राधिकरण/राज्य/केन्द्र सरकार के निर्देश पर, बोर्ड की विशेष बैठक आहूत कर सकेगा।

(3) सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना तथा विशेष बैठक हेतु न्यूनतम तीन दिन की पूर्व सूचना, उद्देश्य, समय तथा स्थान, जहाँ पर ऐसी बैठक किया जाना प्रस्तावित है, निर्दिष्ट करते हुए सदस्यों को प्रेषित की जायेगी।

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी एवं उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) बोर्ड की किसी बैठक में विनिश्चय, यदि आवश्यक हो तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से मत द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का मत द्वितीय या निर्णायक होगा।

(6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

(7) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति पाँच होगी।

(8) कोई सदस्य किसी मामले को, जिसकी उसने दस दिन पूर्व सूचना न दी हो, बैठक में विचारण के लिए लाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे ऐसा करने की अनुज्ञा न प्रदान कर दें।

(9) सदस्यों को बैठक की सूचना, उनके अन्तिम ज्ञात निवास या कारोबार के स्थान पर संदेशवाहक द्वारा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजकर अथवा ऐसे अन्य रीति से, जैसा बोर्ड के सदस्य–सचिव मामले की परिस्थितियों में उचित समझें, दी जा सकेगी।

(10) इसके अतिरिक्त बोर्ड अपने कारोबार के संव्यवहार के लिए ऐसी अन्य प्रक्रिया बना सकेगा, जैसा कि उपयुक्त तथा उचित समझा जाये।

12. बोर्ड के साधारण कृत्य–

विशिष्टतया एवं अन्य उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगाः–

(1) अधिनियम की धारा 23 में उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करना;

(2) राज्य सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान के वाणिज्यिक उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सलाह देना;

(3) भारतीय व्यक्ति/संस्था से जैव संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव संसाधनों के जैव सर्वेक्षण तथा जैविक उपयोग के लिए प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर विनियमित करना;

(4) राज्य जैव विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना का अद्यतनीकरण एवं कार्यान्वयन को सुगम बनाना;

(5) जैव विविधता सम्बन्धी अध्ययन, अन्वेषण, अनुसंधान का प्रयोजन एवं संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालायें/बैठकें आयोजित करना;

(6) बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए संविदा पर, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, सलाहकार/प्रबन्धक/तकनीकी सहायक/अनुसंधान सहायक नियुक्त करना;

(7) जैव विविधता के संरक्षण उसके अवयवों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों एवं ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित तकनीकी और सांख्यिकीय आँकड़े (डाटा), निर्देशिका (मैनुअल), संहिताएँ (कोड्स) या दिशा–निर्देश (गाइड्लाइन्स), संग्रहीत, संकलित तथा प्रकाशित करना;

(8) जनसम्पर्क साधनों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक संसाधनों व सहबद्ध ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन से सम्बन्धित व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना;

(9) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमों में लगे हुए या सम्भावित रूप से लगाये जाने वाले कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण नियोजित तथा अयोजित करना;

(10) प्रभावी प्रबन्धन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता रजिस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस के माध्यम से जैव संसाधनों तथा सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान के लिए डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना व दस्तावेज पद्धति सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

(11) स्थानीय निकायों/जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को लिखित में या उपयुक्त मौखिक साधनों के माध्यम से अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग व साम्यपूर्ण लाभों के प्रभाजन से सम्बन्धित समस्त उपायों में उनकी सार्थक सहभागिता को सुगम बनाने के लिए निर्देश देना;

(12) बोर्ड की कार्य पद्धति तथा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के क्रियान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना;

(13) जैविक संसाधन तथा उससे सहबद्ध ज्ञान पर आधारित बौद्धिक सम्पदा अधिकार सहित अन्य अधिकारों व ऐसी जानकारी को समुचित बनाये रखे जाने की प्रणाली विधिक विशेषज्ञों को नियुक्त कर विकसित करना तथा जैव विविधता रजिस्टर में उल्लिखित जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करने के उपाय करना;

(14) अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;

(15) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा उस पर आश्रित आजीविका योजना एवं प्रबन्धन के समस्त क्षेत्रों तथा राज्य स्तर से स्थानीय तक सभी स्तरों पर नियोजन में एकीकृत हो जाए ताकि ऐसे क्षेत्रों और प्रशासकीय स्तरों को संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए प्रभावी योगदान देने के लिए समर्थ बनाया जा सके;

(16) राज्य, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण व अन्य उपायों से तथा स्वयं की प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करना;

(17) बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, राज्य सरकार को पदों के सृजन के लिए संस्तुति करना परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा कोई स्थाई/अस्थाई पद सृजित नहीं किया जायेगा;

(18) अधिनियम की धारा 37 के अनुरूप जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित कराना एवं इसके प्रबन्धन तथा संरक्षण के लिए समुचित उपाय करना;

(19) बोर्ड द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण से सम्बन्धित मुद्दों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा;

(20) जैव विविधता के विषय पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को तकनीकी मार्गदर्शन व परामर्श प्रदान करना;

(21) व्यष्टि/समूह/संस्था को उनके द्वारा राज्य जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में किये गये अभिनव कार्यों तथा उसमें योगदान के लिए पुरस्कृत करना;

(22) राजस्व उत्पादन में वृद्धि के विभिन्न तरीके यथा सावधि जमा, विज्ञापन, प्रत्याभूति, दान तथा अन्य ऐसे तरीके अपनाना;

(23) जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बजट की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुरूप सहायता तथा अनुदान स्वीकृत करना;

(24) राज्य से किसी अवैध रीति से अभिप्राप्त किसी जैवीय संसाधन व ज्ञान आधारित बौद्धिक सम्पदा अधिकार अनुदत्त किये जाने का विरोध करने के लिए विधि विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने सहित अन्य आवश्यक उपाय करना;

(25) ऐसे अन्य कृत्य, जो अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो अथवा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देशित किये जाएँ।

13. अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्तव्य–

(1) अध्यक्ष, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक व विभागाध्यक्ष होगा तथा बोर्ड पर उसका सम्पूर्ण नियंत्रण होगा।

(2) अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों को आहूत तथा उनकी अध्यक्षता करेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिये गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन समुचित रीति से हो रहा है।

(3) अध्यक्ष या तो स्वयं अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से अनुमोदित बजट के सभी भुगतानों को स्वीकृत एवं संवितरित कर सकेगा।

(4) अध्यक्ष को सभी प्राक्कलनों की प्रशासनिक तथा तकनीकी मंजूरी अनुदत्त करने की पूर्ण शक्ति होगी।

(5) अध्यक्ष की अन्य ऐसी शक्तियाँ व कर्तव्य होंगे, जैसा उसे समय–समय पर बोर्ड अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधायित की जाये।

14. जैव संसाधनों व सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच के लिये प्रक्रिया–

(1) भारत का कोई नागरिक या भारत में रजिस्ट्रीकृत निगमित निकाय, संगठन या संस्था, जो अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट कार्यकलाप उत्तराखण्ड राज्य की सीमा में करने की मंशा रखता हो, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना प्ररूप–1 पर देगा।

(2) विभिन्न प्रकार के जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्ररूप–1 में प्राप्त प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नवत् निर्धारित शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न होगा:–

(एक) व्यापार अथवा विनिर्माण हेतु वाणिज्यिक उपयोग	:	₹	10,000.00
(दो) जैव सर्वेक्षण/जैविक उपयोग/अनुसंधान आदि हेतु वाणिज्यिक उपयोग	:	₹	5,000.00
(तीन) जैव सर्वेक्षण/जैविक उपयोग/अनुसंधान आदि हेतु गैर–वाणिज्यिक उपयोग	:		शुल्क रहित।

परन्तु यह कि उपरोक्त शुल्क, बोर्ड द्वारा समय–समय पर पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा।

(3) बोर्ड, सम्बन्धित स्थानीय निकायों से परामर्श एवं ऐसी अन्य जानकारी एकत्रित कर, जो आवश्यक हो तथा ऐसी जाँच, जो ठीक समझी जाये के पश्चात् आवेदन का निपटारा यथासम्भव आवेदन प्राप्ति के छः माह के अन्दर करेगा।

(4) बोर्ड, आवेदन के गुणागुण समाधान हो जाने के पश्चात् जैव संसाधनों और सहबद्ध ज्ञान तक पहुँच का अनुमोदन ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करने के लिये ठीक समझी जाये, अनुदत्त कर सकता है।

(5) पहुँच तथा लाभ के सहभाजन के सम्बन्ध में बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी तथा आवेदक के मध्य लिखित करार भी हस्ताक्षरित होगा। करार का प्रारूप बोर्ड द्वारा समय–समय विनिश्चित किया जायेगा:

परन्तु पहुँच व लाभ के प्रभाजन का क्रियान्वयन उसी प्रकार से किया जायेगा, जैसा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश/विनियमन अधिसूचित किया जाये।

(6) पहुँच/संग्रहण की शर्तों में, जैव संसाधनों के, जिनके लिए, पहुँच/संग्रहण स्वीकृत की जा रही हो, के संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए विशेष रूप से उपाय के उपबन्ध विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

(7) बोर्ड, लेखाबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा, यदि ऐसा लगे कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।

(8) कोई आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

(9) पूर्व सूचना के लिए उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप में दी गई जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।

15. पहुँच अथवा अनुमोदन का प्रतिसंहरण–

(1) बोर्ड, निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन या किसी शिकायत के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा से, पहुँच सम्बन्धी दी गयी स्वीकृति को वापस ले सकेगा तथा लिखित करार का प्रतिसंहरण कर सकेगाः–

(क) इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि उस व्यक्ति ने जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या शर्त का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर आवेदन स्वीकृत किया गया था;

(ख) वह व्यक्ति जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा है;

(ग) अनुदत्त पहुँच की शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल होने पर;

(घ) लोकहित या पर्यावरण सुरक्षा तथा जैव विविधता संरक्षण का अतिलंघन करने पर।

(2) बोर्ड, ऐसी प्रतिसंहरण के प्रत्येक आदेश की एक प्रति, पहुँच को निषिद्ध करने एवं नुकसान निर्धारण हेतु तथा हानि, यदि कोई हो, तो उसकी वसूली के लिए, कदम उठाने के लिए जैव विविधता प्रबन्धन समिति को प्रेषित करेगा।

16. जैव संसाधनों तक पहुँच से सम्बन्धित क्रिया–कलापों पर निर्बन्धन–

बोर्ड, यदि आवश्यक तथा उपयुक्त समझे तो, निम्नलिखित कारणों से जैव संसाधनों तक पहुँच के अनुरोध को निर्बन्धित तथा प्रतिषिद्ध करने के लिए कदम उठायेगाः–

(क) पहुँच के लिए अनुरोध किसी संकटापन्न टैक्स के लिए हो;

(ख) पहुँच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक तथा दुर्लभ प्रजाति के लिए हो;

(ग) पहुँच के लिए अनुरोध से स्थानीयजनों की जीविका, संस्कृति तथा पारम्परिक ज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो;

(घ) पहुँच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव की सम्भावना हो, जिसका नियंत्रण एवं उपशमन किया जाना कठिन हो;

(ङ) पहुँच के लिए अनुरोध से आनुवांशिक क्षरण की सम्भावना हो अथवा पारिस्थितिकीय तंत्र की क्रियाविधि प्रभावित हो सकती हो;

(च) राज्यहित के प्रतिकूल अथवा राष्ट्रीयहित व भारत द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धों के विपरीत उद्देश्यों के लिए संसाधनों का उपयोग।

17. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण–

(1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे क्रियाकलापों तथा वार्षिक लेखा का विवरण देते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) बोर्ड, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को लेखा बन्द किये जाने के छः माह के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर तक राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) राज्य जैव विविधता बोर्ड का लेखा राज्य के महालेखाकार के परामर्श से अनुरक्षित तथा लेखा परीक्षित किया जायेगा। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित सम्प्रेक्षित लेखा की प्रति प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर तक प्ररूप–2 में बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार यथाशीघ्र उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

18. जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन व कृत्य–

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बी0एम0सी0) का गठन करेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन यथागठित जैव विविधता प्रबन्ध समिति, एक सचिव तथा स्थानीय निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकतम छः व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिनमें एक तिहाई से अन्यून महिलाएँ तथा 18 प्रतिशत से अन्यून अनुसूचित जाति/जनजाति के होने चाहिएः

परन्तु यह कि समिति का सदस्य स्थानीय निकाय का प्रमाणिक निवासी होना चाहिए तथा उनका नाम सम्बन्धित स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए।

(3) जैव विविधता प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाने वाली बैठक में, समिति के 06 नामित सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। मत बराबर होने पर स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।

(4) बोर्ड की सहायता एवं जैव विविधता प्रबन्ध समिति के क्रियाकलापों पर नजर रखने हेतु वन विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत नोडल अधिकारी होंगे।

(5) नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा अपनी अधिकारिता क्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय निकाय के समीपस्थ तैनात वन विभाग के वन रक्षक/फोरेस्टर/डिप्टी रेंजर को जैव विविधता प्रबन्ध समिति का सचिव नामित किया जायेगा।

(6) विधान सभा के स्थानीय सदस्य तथा संसद सदस्य समिति की बैठकों में विशेष आमंत्री होंगे।

(7) जैव विविधता प्रबन्ध समिति का कार्यकाल अधिकतम 05 वर्ष तथा स्थानीय निकाय के कार्यकाल के समरूप होगा, यद्यपि नई समिति के गठन होने तक मौजूदा जैव विविधता प्रबन्ध समिति कार्य संचालित करती रहेगी।

(8) जैव विविधता प्रबन्ध समिति वर्ष में न्यूनतम 04 बार तथा 03 माह में कम से कम एक बार बैठकों का आयोजन करेगी। बैठकों की अध्यक्षता जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में अन्य उपस्थित सदस्यों में से चुना गया सदस्य करेगा। प्रत्येक बैठक हेतु अध्यक्ष सहित तथा आधिकारिक सदस्य (सचिव) को छोड़कर गणपूर्ति की संख्या 03 होगी।

(9) जैव विविधता प्रबन्धन समिति के मुख्य कृत्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से लोक जैव विविधता रजिस्टर (पी0बी0आर0) तैयार करना है। रजिस्टर में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके चिकित्सीय या अन्य उपयोग या उनसे सहबद्ध अन्य पारम्परिक ज्ञान की उपलब्धता और ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट होगी। पहुँच व लाभ के प्रभाजन (ए0बी0एस0) को प्रोत्साहित करने हेतु लोक जैव विविधता पंजिका के संलग्नक के रूप में जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख (बी0सी0पी0) भी निरूपित किया जायेगा।

जैव विविधता प्रबन्ध समिति पी0बी0आर0 में अभिलिखित ज्ञान की संरक्षा सुनिश्चित करने, विशेषकर बाहरी व्यक्तियों एवं एजेंसियों तक इसकी पहुँच को नियोजित करने हेतु जिम्मेदार होगी।

(10) लोक जैव विविधता पंजिका निरूपित किये जाने के अतिरिक्त जैव विविधता प्रबन्ध समितियाँ सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित हेतु भी उत्तरदायित्व होंगेः–

(क) जैव संसाधनों का संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा पहुँच एवं लाभ का सहभाजन।

(ख) स्थानीय जैव विविधता की पारिस्थितिकी की पूर्व अवस्था बहाली।

(ग) बोर्ड तथा जैव विविधता प्राधिकरण को बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पारम्परिक ज्ञान तथा जैव विविधता से सम्बन्धित स्थानीय मुद्दों पर प्रतिक्रिया/सूचना देना।

(घ) जैव विविधता विरासत स्थलों सहित विरासतीय वृक्षों, पशुओं/सूक्ष्म जीवों आदि तथा पवित्र वनों एवं पवित्र जल निकायों का प्रबन्धन।

(ङ) वाणिज्यिक एवं अनुसंधान प्रयोजनों के लिये जैविक संसाधनों तथा/अथवा सम्बद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच का विनियमन।

(च) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वनस्पतियों/जीव–जन्तु के पारम्परिक किस्मों/नस्लों का संरक्षण।

(छ) जैव विविधता सम्बन्धी शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना।

(ज) प्रलेखन तथा जैव सांस्कृतिक प्रोटोकोल विकसित करने की प्रक्रिया को सामर्थ्यवान बनाना।

(11) बी0एम0सी0 के अन्य कृत्य राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा संदर्भित अनुमोदन प्रदत्त करने के संबंध में सलाह देना व स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों द्वारा जैव संसाधनों के उपयोग विषयक आँकड़े रखना है।

(12) बोर्ड द्वारा तकनीकी सहायता समूह (टी0एस0जी0) का गठन उचित स्तर (राज्य/क्षेत्र/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत) पर किया जा सकता है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर गठित इन तकनीकी सहायता समूहों में वन, कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन विभागों, स्थानीय शैक्षिक एवं शोध संस्थानों, स्वायत्तशासी जिला परिषदों, गैर सरकारी संगठनों, जड़ी–बूटी चिकित्सकों इत्यादि के प्रतिनिधि सम्मिलित हो सकते हैं।

तकनीकी सहायता समूह बी0एम0सी0 को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वनस्पतियों, जीव–जन्तुओं के स्थानीय नाम तथा इनसे सम्बन्धित पारम्परिक ज्ञान एवं समुदायों की संरक्षण सम्बन्धी मौजूदा तौर तरीकों को पी0बी0आर0 में सम्मिलित किये जाने हेतु सूचीबद्ध करने में सहायता प्रदान करेगा।

(13) जैव विविधता प्रबन्ध समिति लोक जैव विविधता रजिस्टर का अभिलेखीकरण जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्ररूप में विनिर्दिष्ट कराना सुनिश्चित करेगी। बोर्ड, जैव विविधता प्रबन्धन समिति को लोक जैव विविधता पंजिका तैयार करने के लिए मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(14) जैव विविधता प्रबन्ध समितियों द्वारा लोक जैव विविधता पंजिकाएँ संधारित व विधिमान्य किये जायेंगे। तत्पश्चात् इन्हें बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(15) समिति अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच हेतु दी गयी अनुमति, अधिरोपित फीस के संग्रहण के ब्यौरे और अभिप्राप्त लाभों तथा उनके प्रभाजन की रीति के ब्यौरों के सम्बन्ध में जानकारी देने वाले रजिस्टर भी संधारित करेगी।

(16) जैव विविधता प्रबन्धन समिति, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति से जैव संसाधन के वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु पहुँच या संग्रहण के लिए फीस अधिरोपित कर सकती है। बोर्ड बी0एम0सी0 को इस हेतु मार्गदर्शन प्रदत्त करेगा।

(17) प्रत्येक जैव विविधता प्रबन्धन समिति विधिमान्य किये गये लोक जैव विविधता पंजिका से प्राप्त सूचना के आधार पर एक कार्ययोजना तैयार करेगी। तकनीकी सहायता समूह कार्ययोजना विकसित कराने में सहायता प्रदान करेगी।

19. स्थानीय जैव विविधता निधि–

(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय के स्तर पर अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अनुसार "स्थानीय जैव विविधता निधि" गठित की जायेगी।

(2) स्थानीय जैव विविधता निधि का उपयोग सम्बन्धित स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए, जहाँ तक ऐसा उपयोग जैव विविधता के संरक्षण हेतु संगत हो, बोर्ड की सलाह के अनुसार किया जायेगा।

(3) जैव विविधता प्रबन्धन समिति के सभी कोष का संचालन समिति के अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। निधि के संचालन हेतु बोर्ड मार्गदर्शक सिद्धान्त व ऐसी रीति अधिकथित करेगा, जिससे क्रियाकलाप पारदर्शक तथा उत्तरदायी बने।

(4) जैव विविधता प्रबन्ध समिति का सचिव समिति के खातों का रख–रखाव करेगा। लेंखांकन प्रक्रिया को तैयार करने तथा खातों/पंजिकाओं के रख–रखाव हेतु बोर्ड द्वारा प्ररूप उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्थानीय जैव विविधता निधि के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षण बोर्ड द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा। समिति का सचिव प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक पिछले वित्तीय वर्ष सम्बन्धी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित सम्परीक्षित लेखा की प्रति, सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा बोर्ड को उपलब्ध करायेगा।

(6) जैव विविधता प्रबन्धन समिति पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के सम्पूर्ण विवरण, लेखाओं की संपरीक्षित प्रति व लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड तथा स्थानीय निकाय को प्ररूप–3 में प्रस्तुत करेगी।

20. विवाद के निपटारे–

यदि दो या दो से अधिक जैव विविधता प्रबन्धन समितियों अथवा जैव विविधता समिति/समितियों एवं किसी राजकीय विभाग/विभागों अथवा दो या दो से अधिक राजकीय विभागों के मध्य जैव विविधता विषय से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो व्यथित पक्षकार बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष, निर्धारित प्ररूप–4 में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अध्यक्ष द्वारा पारित निर्णय अन्तिम होगा और सभी पक्षकारों पर लागू होगा।

प्ररूप–1

जैव संसाधनों तथा सहबद्ध पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच के लिए आवेदन प्ररूप

[{अधिनियम की धारा 24 तथा नियम 14(1) देखे}]

भाग–क

1. आवेदक का पूर्ण विवरण–

(क) नाम :

(ख) स्थायी पता :

(ग) सम्पर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता :

(घ) व्यक्ति/संगठन का विवरण (कृपया अधिप्रमाणन हेतु सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें) :

(ङ) कारोबार की प्रकृति :

(च) संगठन का व्यावृत्त (टर्नओवर) (क) वित्तीय वर्ष :.....

(ख) टर्नओवर :.....

(छ) उपरोक्त वित्तीय वर्ष में सरकार को भुगतान किये गये विभिन्न प्रकार के टैक्स का विवरण :

2. चाही गयी जैव सामग्री तथा सहबद्ध ज्ञान तक पहुँच की प्रकृति के बारे में ब्यौरे तथा जानकारी–

(क) जैव संसाधनों की पहचान (वैज्ञानिक नाम) तथा उसके पारम्परिक उपयोग :

(ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक अवस्थिति :

(ग) पारम्परिक ज्ञान का वर्णन/प्रकृति (मौखिक/अभिलेखित) :

(घ) पारम्परिक ज्ञान धारित करने वाले व्यक्ति/समुदाय की पहचान :

(ङ) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा, दर व कीमत (अनुसूची दें) :

(च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है :

(छ) चयन करने के लिए कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम :

(ज) अनुसंधान का प्रकार एवं विस्तार, व्युत्पन्न हुए अथवा होने वाले वाणिज्यिक उपयोग की सम्भावना, जिसके लिए पहुँच का अनुरोध किया गया है :

(झ) क्या संसाधनों के एकत्रीकरण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है अथवा कोई जोखिम, जो उत्पन्न हो सकता है :

3. राष्ट्रीय संस्था के ब्यौरे, जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी :

4. पहुँच प्राप्त संसाधन का प्रारम्भिक गन्तव्य तथा उस स्थान की पहचान, जहाँ अनुसंधान एवं विकास किया जाएगा :

5. जैव संसाधनों अथवा पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच से होने वाले फायदे (लाभ का आँकलन) :

6. लाभ के प्रभाजन हेतु प्रस्तावित तंत्र एवं व्यवस्थाएँ :

7. आवेदन फीस भुगतान का विवरण (बैंक ड्राफ्ट संख्या.....बैंक का नाम.....
.....धनराशि.....तिथि.....

8. कोई अन्य जानकारी, जो सुसंगत समझी जाए :

भाग–ख

मैं/हम घोषणा करते हैं कि–

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पास्थितिकीय तंत्र को कोई जोखिम नहीं होगा।
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

हस्ताक्षर

आवेदक/संगठन का नाम और मोहर

स्थान

तारीख

प्ररूप–2

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

{अधिनियम की धारा 33 तथा नियम 17(3) देखे}

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा तैयार की जाने वाली "वार्षिक रिपोर्ट" में निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं:–

1. अवधि, जिससे रिपोर्ट सम्बन्धित है (वित्तीय वर्ष) :
2. अवधि के दौरान कार्यालय के पदधारक :

   (एक) अध्यक्ष का नाम :

   (दो) सदस्य–सचिव का नाम :
3. परिचय एवं राज्य की जैव विविधता का विवरण :
4. बोर्ड की संरचना :
5. बोर्ड की बैठकें, लिये गये निर्णय एवं बैठकों का कार्यवृत्त :
6. राज्य में जैव विविधता समिति के गठन से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट :
7. लोक जैव विविधता पंजिका तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट :

   (एक) अभिलेखन

   (दो) अद्यतनीकरण

   (तीन) विधिमान्यकरण
8. जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किये जाने की प्रगति रिपोर्ट :
9. गतिमान परियोजनाओं (यदि कोई हो) तथा प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण :
10. वर्ष में आयोजित कार्यक्रम/गतिविधियों/उत्सवों का विवरण :
11. जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना से सम्बन्धित गतिविधियाँ :
12. मानव संसाधन विकास (कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/गोष्ठी आदि) सम्बन्धी गतिविधियाँ :
13. बोर्ड की वित्तीय स्थिति व सम्परीक्षक की रिपोर्ट सहित तुलन पत्र :
14. वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट :
15. जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच व लाभ के प्रभाजन की प्रास्थिति का संक्षिप्त विवरण :
16. जैव विविधता प्रबन्ध समिति–राज्य जैव विविधता बोर्ड–राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मध्य महत्वपूर्ण सम्प्रेषण:
17. छाया चित्र, समाचार–पत्र की कतरन (यदि कोई हो) :
18. कोई अन्य जानकारी :

प्ररूप–3

जैव विविधता प्रबन्ध समिति की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

{अधिनियम की धारा 45 तथा नियम 19(6) देखे}

जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा तैयार की जाने वाली "वार्षिक रिपोर्ट" में निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं:–

1. समिति का नाम व विवरण :
2. समिति की संरचना (सदस्यों के नाम) :
3. रिपोर्ट की अवधि (वित्तीय वर्ष) :
4. अवधि के दौरान पदधारक :
   (एक) अध्यक्ष का नाम :
   (दो) सचिव का नाम :
5. वर्ष के दौरान सम्पन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण :
6. वर्ष में किये गये क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण :
7. समिति की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण :
8. अधिकारिता क्षेत्र का मानचित्र :
9. लोक जैव विविधता पंजिका में कार्य की प्रगति :
   (एक) अभिलेखन
   (दो) अद्यतनीकरण
   (तीन) राज्य जैव विविधता बोर्ड के परामर्श से विधिमान्यकरण
10. समिति द्वारा लिये गये निर्णय, संकल्प व बैठकों के कार्यवृत्त :
11. जैव विविधता समिति की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट :
12. आगन्तुकों की सूची :
13. व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची, जिन्हें जैव विविधता प्रबन्ध समिति द्वारा जैव संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच की अनुमति प्रदान की गयी :
14. विभिन्न प्राप्तियों का विवरण :
   (एक) जैव संसाधनों के संग्रहण से वसूल की गयी फीस से प्राप्ति :
   (दो) पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच प्रदान किये जाने से प्राप्ति :
   (तीन) लाभ के प्रभाजन से प्राप्ति :
   (चार) अन्य श्रोतों से प्राप्ति :
15. जैव विविधता प्रबन्ध समिति–राज्य जैव विविधता बोर्ड–राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मध्य महत्वपूर्ण सम्प्रेषण :
16. छाया चित्र, समाचार–पत्र की कतरन (यदि कोई हो) :
17. कोई अन्य जानकारी।

प्ररूप–4

विवाद निपटारे का प्ररूप

(नियम 20 देखे)

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के समक्ष

[आवेदन संख्या .....]

.....

.....

.....

.....आवेदनकर्तागण

बनाम

.....

.....

.....

.....प्रतिवादीगण

(यहाँ पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति/विभाग के नाम, जैसी स्थिति हो, का उल्लेख करें)

प्रतिवादी/प्रतिवादीगणों के द्वारा पारित आदेश दिनांक .....के विरुद्ध निम्नलिखित तथ्यों एवं तर्क के आधार पर आवेदनकर्ता आवेदन दायर करने की प्रार्थना करते हैं:–

1. तथ्य (यहाँ प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करें)

   (i)

   (ii)

   (iii)

   (iv)

2. आधार (यहाँ आधार का विकल्प दें, जिस पर आवेदन की गयी है)

   (i)

   (ii)

   (iii)

   (iv)

3. आवेदित राहत

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

4. प्रार्थना

(क) उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदनकर्ता सादर प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादी द्वारा पारित निर्णय/आदेश को खारिज/रद्द किया जाये।

(ख) प्रतिवादी द्वारा पारित निर्णय/आदेश को इस सीमा तक खारिज/संशोधित/रद्द कर दिया जाये.....

.....

स्थान :..... आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :..... मोहर सहित

पता.....

.....

.....

सत्यापन

मैं, आवेदनकर्ता यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास के आधार पर सत्य है। दिनांक.....को सत्यापित।

स्थानः ..... आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :..... मोहर सहित

पता.....

.....

संलग्नक : 1. जिस आदेश/दिशा–निर्देश के विरुद्ध आवेदन की गयी है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,

मुख्य सचिव।

पशुपालन अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

शुद्धि–पत्र

05 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 05/XV–2/07(34)/2006–शासन की अधिसूचना संख्या 232/XV–2/07(34)/2016, दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा जारी उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन और दुग्ध संघ सेवा संवर्ग नियंत्रण नियमावली, 2016 सेवा संवर्ग का गठन के नियम 3(1) में शब्द 2(च) एवं 2 (छ) के स्थान पर शब्द 2(छ) एवं 2 (ज) पढ़ा जाय।

डॉ0 रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 05/XV-2/07(34)/2006,** dated January 05, 2017 for general information :

CORRIGENDUM

January 05, 2017

No. 05/XV-2/07(34)/2006--In Rule-3(1) related to constitution of service cadre Uttarakhand Co-operation Dairy Federation and Milk Unions Centralized Service Cadre Control rules 2016, issued by Notiflcation No. 232/XV-2/07(34)/2016, dated 13th June, 2016, the words 2(f) and 2(g) shall be read the words 2(g) and 2(h).

By Order,

DR. RANBIR SINGH,

Additional Chief Secretary.

ग्राम्य विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2016 ई0

संख्या 622/XI/2016/53(35)2004–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 8 का संशोधन :

मूल सेवा नियमावली, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने विज्ञान या कृषि विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए इण्टरमीडिएट गृह विज्ञान भी मान्य होगा। कम्प्यूटर का कार्यालय में उपयोग का सामान्य ज्ञान भी आवश्यक होगा।	8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/विज्ञान/अर्थशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक उपाधि धारण की हो, साथ ही वह कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 लेबिल का प्रमाण–पत्र धारक भी हो।

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisional of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 622/XI/16/53(35)2004**, dated October 25, 2016 for general information :

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

October 25, 2016

No. 622/XI/16/53(35)2004--In exercise of the powers Conferred by the proviso to Article "309" of the Constitution of India, The Governor is pleased to make the further amendments in the Uttarakhand Village Development Officer Service Rules, 2011 for general information.

THE UTTARAKHAND VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2016

1. **Short title and Commencement :**
   (1) These Rules may be called the Uttarakhand Village Development Officer Service (Amendment) Rules, 2016.
   (2) It shall come in to force at once.

2. **Amendment of Rule 8 :**
   In the Principal Rules for the rules set out in Column-1, below the rules set out in Column-2 shall be substituted, namely :

Column-1 *Existing rules*	Column-2 *Rules as hereby, substituted*
8. A candidate for recruitment of the post of Village Development Officer must have passed the intermediate examination with Science or Agriculture from the Secondary Education Board of U.P./Uttarakhand Educational Examination Board or any equivalent examination with a minimum of 50 percent of total marks obtained. Female candidates passed with intermediate Home Science will also be eligible. The knowledge of Computer Operation in official use is essential.	8. A candidate for recruitment to the post of Village Development Officer must have graduate in Agriculture/Science/Economics/ Commerce from any Recognized University and must have a C.C.C. level Certificate in Computer Operation.

By Order,

MANISHA PANWAR,

Principal Secretary.

गृह अनुभाग–5

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1195/XX(5)/16–03(अर्द्ध सै0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि, निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् ग्राम जोग्यूड़ा, जिला पिथौरागढ़ में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी जौलजीवी की स्थापना हेतु ग्राम जोग्यूड़ा की कुल 0.156 हे0 निजी भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा 40 के अधीन आत्यायिक्त उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है।

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश नहीं दिया गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय, उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करते हैं:–

अनुसूची

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	प्लॉट संख्या Plot no.	क्षेत्रफल (हे0) Area (Hect.)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़ Pithoragarh	पिथौरागढ़	जोग्यूड़ा	1889	0.023
			1890	0.004
			1891	0.003
			1892	0.009
			1894 म0	0.014
			1996 म0	0.010
			1997 म0	0.024
			1998 म0	0.003
			1999 म0	0.004
			1907	0.004
			1908	0.009
			1909	0.011
			1910	0.016
			1911	0.012
			1912	0.010
		योग	15	0.156

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1196/XX(5)/16–01(अर्द्ध सै0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि, निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् ग्राम ढूंगातोली, जिला पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वाहिनी, पिथौरागढ़ की स्थापना हेतु ग्राम ढूंगातोली की कुल 0.251 हे0 निजी भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा 40 के अधीन आत्यायिक्त उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है।

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश नहीं दिया गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय, उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करते हैं:–

अनुसूची

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	प्लॉट संख्या Plot no.	क्षेत्रफल (हे0) Area (Hect.)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़ Pithoragarh	पिथौरागढ़	ढूंगातोली	2693	0.024
			2694	0.011
			2695	0.005
			2696	0.003
			2697	0.005
			2698	0.016
			2699	0.018
			2700	0.011
			2701	0.015
			2702	0.023
			2703	0.010
			2704	0.013
			2705	0.016
			2706	0.004
			2707	0.009
			2708	0.011
			2709	0.001
			2710	0.003
			2711	0.013
			2712	0.005
			2713	0.008
			2714	0.004
			2715	0.019
			2717	0.004
		योग	24	0.251

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1197/XX(5)/16–04(अर्द्ध सै0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 254/XXVII–5/16–13(2) अर्द्ध सै0/2016, दिनांक 29.02.2016 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम अमतड़ी में 55वीं वाहिनी, सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी अमतड़ी के निर्माण के लिए आवश्यकता है। अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूँकि, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर, धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं:–

अनुसूची

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	प्लॉट संख्या Plot no.	क्षेत्रफल (हे0) Area (Hect.)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़ Pithoragarh	कनालीछीना	अमतड़ी	1345	0.004
			1346	0.005
			1347	0.008
			1355	0.011
			1356	0.015
			1357	0.004
			1358	0.004
			1359	0.013
			1360	0.009
			1361	0.006
			1382	0.013
			1383	0.004
			1384	0.008
			1385	0.003
			1386	0.011
			1387	0.014
			1388	0.006
			1389	0.010
			1390	0.004
			1391	0.009
			1392	0.005
			1393	0.009
			1394	0.006
			1395	0.005
			1402	0.019
			1403	0.015

1	2	3	4	5
पिथौरागढ़ Pithoragarh	कनालीछीना	अमतड़ी	1404	0.023
			1405	0.023
			1406	0.001
			1407	0.023
			1408	0.011
			1409	0.024
			1410	0.006
			1411	0.008
			1412	0.006
			1413	0.008
			1414	0.006
			1415	0.006
			1416	0.005
			1417	0.039
			1418	0.029
			1432	0.035
			1433	0.009
			1434	0.008
			1435	0.014
			1436	0.016
			1437	0.019
			1438	0.018
			1439	0.009
			1440	0.028
			1441	0.020
			1442	0.019
			1443	0.008
			1444	0.013
			1445	0.004
			1446	0.011
			1447	0.010
			1448	0.004
			1449	0.004
			1450	0.011
			1451	0.008
		योग	61	0.707

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकांत पंवार,

प्रमुख सचिव।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

कार्यालय–ज्ञाप

03 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 03/XXVII(7)50(16)/2016–सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2018" प्रख्यापित किये गये हैं, जिसमें नयी वेतन संरचना (Pay Matrix) में वेतन निर्धारण की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के साथ संलग्न अनुसूची–1 (वेतन मैट्रिक्स) के स्तर–4 (ग्रेड वेतन ₹ 2,400) की आठवीं कोष्ठिका में टंकण त्रुटिवश "31400" के स्थान पर "41400" टंकित हो गया हैं। अतः वेतन स्तर–4 की आठवीं कोष्ठिका में टंकित धनराशि "41400" के स्थान पर "31400" पढ़ी जाय।

3. उक्त वेतन नियम की संलग्न अनुसूची–1 (वेतन मैट्रिक्स) उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

अमित सिंह नेगी

सचिव।

अधिसूचना

28 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 290/XXVII(7)50(16)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 है।

(2) यह नियम 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

सरकारी सेवकों की श्रेणियों जिन पर ये नियम लागू होंगे:– 2. (1) इन नियमों द्वारा या इसके अधीन अन्यथा प्रावधान के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों जिनका वेतन राज्य की समेकित निधि से आहरित किया जाता है।

(2) ये नियम निम्न पर लागू नहीं होंगे:–

(i) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी;

(ii) न्यायिक सेवा के अधिकारी;

(iii) शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक, जो यू0सी0जी0/ए0आई0सी0टी0 एवं आई0सी0ए0आर0 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त हैं;

(iv) जूनियर डॉक्टर/कार्य प्रभारित कर्मचारी;

(v) ऐसे व्यक्तियों जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं;

(vi) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें आकस्मिकता निधि में से भुगतान किया जाता है;

(vii) ऐसे व्यक्तियों जिन्हें मासिक आधार से भिन्न अन्यथा आधार पर भुगतान किया जाता है; जिसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी हैं, जिन्हें केवल उजरती (Piece Rate) आधार पर भुगतान किया जाता है।

(viii) संविदा पर नियोजित व्यक्तियों;

(ix) सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी सेवा में पुनः नियोजित व्यक्तियों;

(x) किसी अन्य श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा इन नियमों में अंतर्विष्ट सभी उपबंधों अथवा किसी उपबंध के प्रवर्तन से विशेष रूप से अपवर्जित करें।

परिभाषाएं **3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो**

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा विद्यमान वेतनमान में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ii) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन" से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को सरकारी सेवक द्वारा वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारित पद पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन से अभिप्रेत है;

(iii) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतनमान" से, इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को, वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड+ और शीर्ष वेतनमान के लिए लागू वेतनमान में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद पर लागू वेतनमान अभिप्रेत है।

(iv) सरकारी सेवक के संबंध में "विद्यमान वेतन संरचना" से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को वास्तविक हैसियत में अथवा स्थानापन्न हैसियत में सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान पद्धति अथवा वेतनमान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण– ऐसा सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में था, अथवा यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में "विद्यमान मूल वेतन" विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन और "विद्यमान वेतनमान" जैसे शब्दों का यह अभिप्राय होगा कि– उस पद जो राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा विदेश सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की सूरत में, जैसी भी स्थिति हो, उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से है।

(v) "विद्यमान परिलब्धियों" से (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है;

(vi) "वेतन मैट्रिक्स" से अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के स्तर (Level) तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा–निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में "स्तर (Level)" से, इन नियमों की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुरूपी लेवल अभिप्रेत होगा।

(viii) "स्तर (Level) में वेतन" से अनुसूची–1 में यथा–विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(ix) किसी पद के सम्बन्ध में "संशोधित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट स्तर (Level) अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो।

(x) संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से, वेतन मैट्रिक्स में विहित स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "संशोधित परिलब्धियों" से, संशोधित वेतन संरचना में किसी सरकारी सेवक के स्तर में वेतन अभिप्रेत है; और

(xii) "अनुसूची" से, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 अभिप्रेत है।

पदों का स्तर 4. संशोधित वेतन संरचना में पदों के स्तर (Level) का निर्धारण उन विभिन्न स्तरों (Levels) के अनुसार किए जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा–विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तय किए गए हों।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण 5. इन नियमों में किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय सरकारी सेवक उस पद जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई सरकारी सेवक विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक अथवा उसके पद रिक्त करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी सेवक को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तिथि के मध्य पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 के कारण उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त हुआ है, वह सरकारी सेवक ऐसी पदोन्नति, वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन का उच्चीकरण अथवा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स अपनाये जाने के विकल्प का चयन कर सकता है।

स्पष्टीकरण–1 इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में स्वीकार्य होगा।

स्पष्टीकरण–2 उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर सरकारी सेवा में पहली बार नियुक्त अथवा किसी अन्य पद से स्थानान्तरण पर नियुक्त किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

स्पष्टीकरण–3 जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूल नियम 22 या किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाये रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलंबित न किये जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

विकल्प का प्रयोग 6. (1) नियम–5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का प्रयोग अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–2 में लिखित रूप में इस प्रकार से किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्वर्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह के अंदर उप नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाए।

बशर्ते कि–

(i) ऐसा सरकारी सेवक जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा विदेश सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर राज्य से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का प्रयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में जाने से ठीक पूर्व जिस विभाग एवं पद पर कार्यरत था, उस विभाग एवं पद पर उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से तीन माह के अंदर उक्त प्राधिकारी के पास पहुंच जाए; और

(ii) यदि सरकारी कर्मचारी 01जनवरी, 2016 को निलंबन में हो तो इस विकल्प का प्रयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से तीन माह के अंदर करे यदि वह तारीख इस उप नियम में नियत तारीख के बाद की तारीख हो।

(2) सरकारी सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–2 में, एक वचनबंध के साथ अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, उप–नियम (1) में उल्लिखित समय के अन्दर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती है, तो यह माना जाएगा कि सरकारी सेवक ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया हैं।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम विकल्प होगा।

टिप्पणी–1 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थी और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, उप–नियम (1) के अधीन विकल्प चयन के हकदार होंगे।

टिप्पणी–2 ऐसे व्यक्तियों की जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय–सीमा में इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन संरचना के विकल्प का चयन कर लिया हैं यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाई कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी–3 ऐसे व्यक्ति जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें अवकाश वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, इस नियम का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण

7. (1) किसी सरकारी सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, स्थायी पद जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा यदि धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो उसका धारणाधिकार रहा होता, में उसके वास्तविक वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विधि से अलग–अलग निर्धारित किया जाएगा अर्थात्:–

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में सम्बन्धित कार्मिक का मूल वेतन वह वेतन होगा जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रुपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि (Figure) वेतन मैट्रिक्स के उसी स्तर में तलाशी जायेगी। यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य स्तर की किसी कोष्ठिका (Cell) में तदनुरुपी (Corresponding) कोई समरुप (Identical) राशि है तो वही राशि उसका पुनरीक्षित मूल वेतन होगा। यदि उक्त राशि प्रयोज्य स्तर के किसी कोष्ठिका में उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य स्तर में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका की राशि के बराबर उसका मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि प्रयोज्य स्तर (Applicable Level) में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि), उसके वर्तमान मूल वेतन को उपरोक्तानुसार 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि से अधिक है तो उसका पुनरीक्षित मूल वेतन, उस प्रयोज्य स्तर में न्यूनतम राशि (कोष्ठिका की प्रथम राशि) के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। (उदाहरण–एक)

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होने दिनांक 01–01–2016 को नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रस्तुत किया है:–

उदाहरण

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंड: पीबी–1
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 10160
4. विद्यमान मूल वेतन: 12560 (10160+2400)
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन: 12560 X 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 4

7. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 4 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि): **32300**

8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300**	37000
10	23500	26000	28400	33300	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

(ख) **<u>चिकित्सा अधिकारियों जिनके संबंध में प्रैक्टिसबंदी भत्ता स्वीकार्य है</u>**, के मामले में वेतन, संशोधित वेतन संरचना में निम्नलिखित विधि से निर्धारित किया जाएगा:

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि में 01 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ते के बराबर की राशि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में ऐसी तदनुरूपी राशि हूबहू विद्यमान है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) प्रैक्टिसबंदी भत्ते की संशोधित दरों के सम्बन्ध में आगे विनिश्चय किए जाने तक उप–खण्ड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में, विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता जोड़ा जाएगा।

<u>उदाहरण</u>

दिनांक 31–12–2015 को :–

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–3
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन: 15600
4. विद्यमान मूल वेतन : 21000
5. मूल वेतन पर 25 % प्रैक्टिसबंदी भत्ता: 5250
6. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर 125% की दर से मंहगाई भत्ता : 6563

वेतन बैंड	15600–39100		
ग्रेड वेतन	5400	6600	7600
लेवल	10	11	12
1	56100	67700	78800
2	57800	69700	81200
3	59500	71800	83600
4	**61300**	74000	86100
5	63100	76200	88700
6	65000	78500	91400

7. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतनः 21000X2.57 = 53970	
8. प्रैक्टिसबंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ता : 6563 (5250 का 125%)	
9. क्रम सं. 7 और 8 का जोड़ = 60533	
10. 5400 ग्रेड वेतन (पीबी–3) का तदनुरूपी लेवलः लेवल 10	
11. दिनांक 01–01–2016 को वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 60540 के बराबर या अगली उच्चतर राशि): **61300**	
12. संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 5250	
13. संशोधित वेतन + संशोधन पूर्व प्रैक्टिसबंदी भत्ता : 66550	

(2) यदि किसी पद का वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य उच्चीकृत किया गया है, तो विद्यमान मूल वेतन की गणना के लिए लेवल जिसमें पद का उन्नयन किया गया है, के तद्नुरुपी ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा विद्यमान वेतन बैण्ड में आहरित वेतन जोड़ दिया जायेगा और फिर वेतन का निर्धारण निम्न विधि से किया जायेगा:–

ऐसे कार्मिकों का वेतन निर्धारण, जिन्होंने विद्यमान वेतनमान के उच्चीकरण के दिनांक से नये वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया है–

उदाहरणः

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी–1
2. विद्यमान वेतन : 2400
3. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800

4. उन्नत ग्रेड वेतन : 2800

5. वेतनमान उच्चीकृत होने के दिनांक को वेतन निर्धारण के प्रयोजन हेतु वेतनः 12960 (10160+2800)

6. कम सं. 5 को 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के बाद वेतनः 33307.20 (33307 में पूर्णांकित)

7. ग्रेड वेतन 2800 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 5

8. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 5 में या तो 33307 के बराबर या अगली उच्चतर राशि) : **33900**

लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	**33900**
7	21500	23800	26000	30500	34900

(3) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह अवकाश वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है तो वह 01 जनवरी, 2016 से अथवा विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(5) निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

(6) दिनांक 01–01–2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य यदि स्थायी पद धारक कोई सरकारी सेवक नियमित आधार पर किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न है तथा इन दोनों पदों के लिए वेतन संरचना का विलय एक स्तर में कर दिया गया है तो वेतन का निर्धारण उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही वास्तविक वेतन माना जाएगा।

(7) यदि किसी सरकारी सेवक के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(8) यदि कोई सरकारी सेवक 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी काडर में अपने किसी अन्य कनिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।

(9) यदि किसी सरकारी सेवक को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अन्तर उस सरकारी सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

(10) (1) ऐसे मामलों में जहां कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा–निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्

(क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों सरकारी सेवक एक ही संवर्ग के हों और जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग के समरूप (Identical) पद हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, की संशोधन पूर्व वेतन संरचना तथा संशोधित वेतन संरचना समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय वरिष्ठ सरकारी सेवक कनिष्ठ के मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम 22 अथवा संशोधित वेतन मैट्रिक्स में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के प्रावधानों के सीधे परिणाम के तौर पर पैदा हुई हो;

बशर्ते कि यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि

के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अधिकारी का वेतन बढ़ाने के लिए इस उप–नियम के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।

(2) खंड (i) के अनुसरण में वरिष्ठ अधिकारी के वेतन के पुनर्निर्धारण से संबंधित आदेश मूल नियम 27 के अधीन जारी किए जाएंगे और वरिष्ठ अधिकारी अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

(11) नियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन यदि उप नियम (1) के अधीन स्थानापन्न पद पर यथा–निर्धारित वेतन वास्तविक पद में निर्धारित वेतन से कम है, तो स्थानापन्न वेतन वास्तविक वेतन के स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

8. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों का मूल वेतन उस पद, जिस पद पर सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त किया गया हैं, के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर के न्यूनतम वेतन पर अर्थात प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन, मौजूदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् इन नियमों की अधिसूचना जारी होने के मध्य नियुक्त किया गया है, के लिए प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती हैं तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।

वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि

9. वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य स्तर (Level) की लम्बवत् कोष्ठिका (Vertical Cells) में यथा–विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

उदाहरण:

लेवल 4 में **32300** रूपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा कर्मचारी उसी लेवल में लम्बवत् नीचे की ओर (Move Vertically Down the same Level in the cells) की कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन **33300** हो जाएगा।

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900
8	22100	24500	26800	31400	35900
9	22800	25200	27600	**32300** ⇩	37000
10	23500	26000	28400	**33300**	38100
11	24200	26800	29300	34300	39200

संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख

10. (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि पूर्व की भॉति प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी।

(2) जिन सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि दिनांक 01 जनवरी, 2016 है उनका संशोधित वेतन संरचना में नियम–7 के उप खण्ड–1(क) के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेबल की लम्बत अगली उच्चतर कोष्ठिका की धनराशि संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन निर्धारित होगा।

(3) ऐसा कर्मचारी जिसे 01 जनवरी और 30 जून के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई और 31 दिसम्बर के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना या समयमान/चयन वेतनमान के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के सम्बन्ध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

उदाहरण:

(क) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जनवरी, 2016 और 30 जून, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(ख) ऐसे कर्मचारी जिसे 01 जुलाई, 2016 और 31 दिसम्बर, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में अथवा सुनिश्चित कॅरियर प्रोन्नयन योजना अथवा समयमान/चयन वेतनमान के अधीन प्रोन्नति दी गई हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

(4) दिनांक 01 जनवरी, 2016 से इस अधिसूचना के जारी होने के मध्य ऐसे मामलों में, जहां प्रदानुक्रम में दो विद्यमान ग्रेडों का विलय कर दिया गया है और निचले ग्रेड में पदस्थ कनिष्ठ सरकारी सेवक संशोधित वेतन संरचना में तदनुरूपी लेवल में वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन प्राप्त करता है, वहां वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन उसी तारीख से बढ़ाकर उसके कनिष्ठ के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और वह वरिष्ठ सरकारी सेवक इस नियम के अनुसार अपनी अगली वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

01 जनवरी, 2016 के पश्चात्वर्ती तारीख से वेतन का संशोधन

11. यदि कोई सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (क) के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति में तैनात सरकारी सेवक का वेतन संरक्षण

12. वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में या तो इन नियमों के अनुसार या उस पद पर जिस पर वे प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं, ऐसे निर्धारण को विनियमित करने वाले निर्देशों के अनुसार निर्धारित कर दिए जाने के पश्चात् उस वेतन से कम होता है जिसके हकदार ये अधिकारी रहे होते यदि वे वाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति की बजाए अपने मूल काडर में रहे होते और वह वेतन आहरित किया होता, तो वेतन में ऐसे अन्तर की संरक्षा, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से व्यक्तिगत वेतन के रूप में की जाएगी।

01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण

13. संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (Level) से दूसरे स्तर (Level) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:

(i) एक वेतनवृद्धि उस स्तर (Level) में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (Level) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

(ii) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामलों में भी उक्त प्रकियानुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उदाहरण:

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 4

2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28700

3. पदोन्नति/एएसीपी/समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 5 में

4. लेवल 4 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29600

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 5 में वेतन : 30100 (लेवल 5 में 29600 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)

वेतन बैंड	5200–20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800
लेवल	1	2	3	4	5
1	18000	19900	21700	25500	29200
2	18500	20500	22400	26300	30100
3	19100	21100	23100	27100	31000
4	19700	21700	23800	27900	31900
5	20300	22400	24500	28700	32900
6	20900	23100	25200	29600	33900
7	21500	23800	26000	30500	34900

(iii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में मूल वेतन+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, शीर्ष स्तर के लिए प्रयोज्य संशोधित वेतनमान के मूल वेतन के औसत से अधिक नहीं होगा।

(iv) उक्त अधिसूचना के जारी होने के पश्चात यदि शासन द्वारा किसी पद का वेतनमान/स्तर अगले उच्च स्तर (Higher Level) में उच्चीकृत किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में उस पद पर कार्यरत पदधारक का मूल वेतन उच्चीकृत स्तर (Level) की समतुल्य कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका, उस उच्चीकृत स्तर/वेतनमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस उच्च स्तर (Higher Level) में उपलब्ध उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका (At the immediate next higher cell) में रखा जायेगा।

वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि

14. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की बकाया राशि (ऐरियर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ: किसी सरकारी सेवक के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" का अभिप्राय निम्नलिखित के बीच अंतर से है :

(i) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार इन नियमों के अधीन अपने वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़।

(ii) वेतन और मंहगाई भत्ते जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

नियमों का अध्यारोही प्रभाव

15. मूल नियमों एवं शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 तथा तत्सम्बन्धी अन्य आदेश (समय–समय पर यथासंशोधित) के उपबन्ध, इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबन्ध के सिवाय ऐसे मामलों में उस सीमा तक जहां तक वे नियम इन नियमों से असंगत है, लागू नहीं होंगे, जहां वेतन इन नियमों के अधीन विनियमित किया गया है।

शिथिलीकरण की शक्ति

16. राज्यपाल का यह समाधान होने पर कि इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबन्ध के परिचालन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई पैदा हो रही है, तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों जिन्हें वह मामले पर न्यायसंगत और समतापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझें, के अध्यधीन रहते हुए उस नियम को हटा सकते हैं अथवा उसकी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकते हैं।

निर्वचन

17. यदि इन नियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न/कठिनाई उत्पन्न होती है, तो विनिश्चय के लिए वित्त विभाग को संदर्भित किया जाएगा।

अनुसूची–1

[नियम 3(vi)]

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	5200–20200					9300–34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21600	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	41400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76600	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	48000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	56200	81400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900
40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600–39100			37400–67000			67000–79000	80000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	–	–
10	11	12	13	13क	15	16	17
56100	67700	76800	118500	131100	144200	182200	225000
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700	
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300	
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100	
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100	
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300	
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600	
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100	
71100	85800	99800	150200	166100	182700		
73200	88400	102800	154700	171100	188200		
75400	91100	105900	159300	176200	193800		
77700	93800	109100	164100	181500	199600		
80000	96600	112400	169000	186900	205600		
82400	99500	115800	174100	192500	211800		
84900	102500	119300	179300	198300	218200		
87400	105600	122900	184700	204200			
90000	108800	126600	190200	210300			
92700	112100	130400	195800	216600			
95500	115500	134300	201600				
98400	119000	138300	207900				
101400	122600	142400	214100				
104400	126300	146700					
107500	130100	151100					
110700	134000	155600					
114000	138000	160300					
117400	142100	165100					
120900	146400	170100					
124500	150800	175200					
128200	155300	180500					
132000	160000	185900					
136000	164800	191500					
140100	169700	197200					
144300	174800	203100					
148600	180000	209200					
153100	185400						
157700	191000						
162400	196700						
167300	202600						
172300	208700						
177500							

अनुसूची–2

विकल्प का फॉर्म

{नियम 6(2) देखें}

1. मैं, _____ 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

2. मैं, _____ अपने निम्न–उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ रूपए हो जाए/मेरे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/_____ के पद पर मेरी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ;

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं _____

कार्मिक संख्या _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर_____

नाम_____

पदनाम_____

कार्मिक संख्या _____

दिनांक:

स्थान:

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति

30 नवम्बर, 2016 ई0

संख्या 4202/वि0स0/154/अधि0/2001–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–56 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार, प्रमुख सम्पादक, विधान सभा सचिवालय, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हो गये।

जगदीश चन्द्र,
सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

25 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1416/IX–1/39/2014–केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 663/IX–1/39/2014, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 द्वारा गठित उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् में श्री सतीश नैनवाल, ओखल काँडा, जनपद नैनीताल को प्रश्नगत परिषद् का उपाध्यक्ष नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना संख्या 663/IX–1/39/2014, दिनांक 09 दिसम्बर, 2014, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव।

अधिसूचना

25 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1416(A)/IX–1/39/2014–उत्तराखण्ड परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 1416/IX–1/39/2014, दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री सतीश नैनवाल, ओखल काँडा, जनपद नैनीताल को उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 509/14/1/XXI/2012–15, दिनांक 04 जून, 2015 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त श्री सतीश नैनवाल को कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 04 जून, 2015 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित "ख" श्रेणी के दायित्वधारी महानुभावों को अनुमन्य सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव।

राजस्व अनुभाग–2

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 2369/XVIII(2)/2016–2(5)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथासंशोधित) (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016) की धारा 2 की उपधारा (4) में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न भूमियों पर उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अन्तर्गत पट्टेदारों को आवंटित भूमि;
2. राज्य गठन के उपरान्त दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को आवंटित आवासीय भूमि सहित कृषि भूमि;
3. टिहरी बाँध विस्थापितों को आवंटित भूमि एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा आवंटित अनारक्षित वन भूमि;
4. जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के दमुवाढूंगा अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से अनारक्षित भूमि;
5. खाम स्टेट की भूमि;
6. जनपद ऊधमसिंह नगर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को तहसील सितारगंज के अन्तर्गत कल्याणपुर एवं अन्य ग्रामों में आवंटित भूमि;
7. अनुसूचित जाति/शिल्पकारों को हरि ग्रामों में आवंटित भूमि;
8. उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939 की धारा 20 के अन्तर्गत सीर या खुदकाश्त के असामियों को आवंटित भूमि;
9. संरक्षित वन भूमि से अधिसूचित गैर वनाच्छादित/अनारक्षित क्षेत्र में आवंटित कृषि भूमि;
10. खनन, बाँध एवं जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि।

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 3050/XVIII(2)/2016–2(5)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथासंशोधित) (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016) की धारा 2 की उपधारा (4) में निहित प्राविधानों के आधार पर निर्गत अधिसूचना संख्या 2369/XVIII(2)/2016–2(5)/2016, दिनांक 26.12.2016 के द्वारा जिन भूमियों पर उक्त अधिनियम का प्रसार किया गया है, के पट्टेदारों को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार भूल अधिनियम की धारा 130 के अन्तर्गत संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 3051/XVIII(2)/2016–2(5)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त तथा समय–समय पर यथासंशोधित) (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016) की धारा 2 की उपधारा (4) में निहित प्राविधानों के आधार पर निर्गत अधिसूचना संख्या 2369/XVIII(2)/2016–2(5)/2016, दिनांक 26.12.2016 के द्वारा जिन भूमियों पर उक्त अधिनियम का प्रसार किया गया है, के अवैध कब्जेदारों को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार मूल अधिनियम की धारा 131 के अन्तर्गत असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डी0 एस0 गर्ब्याल,

सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1753/XVII–2/16–19(04)/2012–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में प्रविष्टि–87 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:–

88–जनपद पौड़ी गढ़वाल के घुडदौडस्यूँ, विडोलस्यूँ, बालीकण्डारस्यूँ, कण्डारस्यूँ, ढाईज्यूली, चोपड़ाकोट, चौथान एवं ढौंडियालस्यूँ कुल आठ पट्टियों में निवासरत् "राठी समुदाय" (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)।

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1755/XVII–2/16–17(OBC)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में प्रविष्टि–88 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात्:–

89–जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में निवासरत् "पैनखण्डा समुदाय" (केवल मूल निवासी) (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)।

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1757/XVII–2/16–01(OBC)/2012–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में प्रविष्टि–89 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात्–

90–जनपद टिहरी गढ़वाल के थौलधार में निवासरत् "गंगाडी समुदाय" (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर)।

आज्ञा से,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

29 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 2912/XVII(4)2016–317/रा0मा0आ0/2003–उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3(2)ग में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में निम्नलिखित महानुभावों को सदस्य के रूप में नामित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्रीमती रेखा बहुगुणा, देहरादून।
2. श्रीमती रश्मि चौधरी, सिविल लाइन, रुड़की, हरिद्वार।
3. डॉ0 आशा मलिक, ग्राम खमारिया, पो0 लालपुर, किच्छा, ऊधमसिंह नगर।
4. श्रीमती द्रोपदी कफलिया, स्थान व पो0–डीडीहाट, पिथौरागढ़।
5. श्रीमती आशा बिष्ट, रामनगर, नैनीताल।
6. श्रीमती प्रीति बिष्ट, खजांची महौला, अल्मोड़ा।
7. श्रीमती मधु बिष्ट, नैनीडांडा, पौड़ी।
8. श्रीमती माया देवी पत्नी सुरेश लाल, ग्राम सिरशेर, पो0–सिल्काखाल, टिहरी।

2. उत्तसखण्ड राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2005 में उल्लिखित अध्याय–2 के प्रस्तर–3 के उप प्रस्तर–ग के अनुसार निर्धारित अर्हतायें कार्यभार ग्रहण किये जाने पर पूर्ण न किये जाने की दशा में सम्बन्धित सदस्य की सदस्यता स्वतः निरस्त समझी जाय।

आज्ञा से,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

29 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1667/VIII/16–515 रिट (श्रम)/2004–चूँकि, राज्य में चीनी उद्योग में कार्य कर रहे विभिन्न कर्मकार संगठनों की माँग को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत कर्मकारों तथा सेवायोजकों के मध्य सौहार्द एवं सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने तथा दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का संराधन के द्वारा निस्तारण किये जाने हेतु आदेश संख्या 551/VIII/16–515 रिट (श्रम)/2004, दिनांक 04 मई, 2016 एवं संशोधित आदेश संख्या 619/VIII/16–515 रिट (श्रम)/2004, दिनांक 04 जुलाई, 2016 के द्वारा माननीय श्रम मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक त्रिदलीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की एक बैठक दिनांक 01 अगस्त, 2016 को आहूत की गयी थी, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने की मुख्य माँग सहित नौ बिन्दुओं पर अपना माँग–पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रमिकों की मुख्य माँग पर विचार विमर्श हेतु माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा कर्मचारियों/यूनियनों के श्रमिक प्रतिनिधियों एवं सेवायोजक प्रतिनिधियों की ओर से वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी सुझावों पर उभय पक्षों की सुनवाई हेतु सरकारी, सहकारी एवं निजी चीनी मिलों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए सेवायोजक एवं श्रमिक पक्ष के 03–03 सदस्य सम्मिलित करते हुए, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया जाय।

चूँकि, राज्य में वैक्यूम पैन चीनी मिलों के कर्मकारों की नौ बिन्दुओं पर प्रस्तुत माँगों में से मुख्य रूप से वेतन पुनरीक्षण की माँग पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त उपसमिति द्वारा वर्तमान महंगाई के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में समायोजित करने की संस्तुति माननीय श्रम मंत्री जी/अध्यक्ष, त्रिदलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

चूँकि, माननीय श्रम मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2016 को त्रिदलीय समिति की आहूत बैठक में श्रमायुक्त/अध्यक्ष, उपसमिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के उपरान्त दिनांक 01.10.2015 को देय महंगाई भत्ते की दर 181 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में समायोजित करने तथा पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर को मूलवेतन का 03 प्रतिशत (जो कि दस रुपये पर पूर्णांकित होगी) करने पर सहमति प्रदान की गयी। बैठक में विचार–विमर्शोपरान्त लिये गये निर्णय, "समग्र स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को यथेष्ट संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी", के क्रम में अध्यक्ष, चीनी उद्योग त्रिदलीय समिति की संस्तुति श्रम आयुक्त/सदस्य सचिव, चीनी उद्योग त्रिदलीय समिति के माध्यम से शासन को प्रस्तुत की है।

और चूँकि, राज्य सरकार की यह राय है कि लोक सुविधा सुनिश्चित करने, लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिए आवश्यक सम्भरण और सेवाओं को बनाये रखने के लिए अध्यक्ष, चीनी उद्योग, त्रिदलीय समिति द्वारा प्रेषित संस्तुति को लागू किया जाना आवश्यक है।

अतएव, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 28, सन् 1947) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के उपखण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय, आदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में निम्नलिखित आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाये:–

● यह आदेश,

आदेश

(i) राज्य के समस्त वैकुअम पैन चीनी के कारखानों,

(ii) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में "कर्मकार" की परिभाषा के खण्ड से आच्छादित वैकुअम पैन चीनी के कारखानों के सभी कर्मकार,

(iii) (क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ट) में यथा परिभाषित कारखाने के कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया हेतु नियोजित सभी कर्मकार,

(ख) विनिर्माण प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत कारखाने में भूगृहादि के भीतर कच्चा माल, स्टोर सामग्री तथा तैयार माल को निपटाना, लादना या उतारना भी है,

(ग) चीनी के कारखानों के किसी अन्य पंजीकृत संयंत्र और मशीनों तथा भवनों के मरम्मत और अनुरक्षण के लिये लगाये गये सभी कर्मकार, और

(घ) समस्त चिकित्सीय पैरा मेडिकल और शैक्षिक कर्मचारी, जो वैकुअम पैन चीनी कारखानों से सम्बद्ध हों, पर लागू होगा,

परन्तु

(क) खांडसारी या गुड़ के निर्माण और सहबद्ध उद्योग, या

(ख) पेय या अपेय एल्कोहल उद्योग, या

(ग) कन्फेक्शनरी विनिर्माण उद्योग, या

(घ) कारखाने के बाहर गन्ना फार्म या गन्ने के परिवहन में नियोजित ठेकाश्रमिक,

(ङ) शिशुक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) द्वारा आच्छादित या नियंत्रित शिशुक्षु,

(च) श्रम कल्याण अधिकारी, जिनकी सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश कारखाना अधिकारी कल्याण नियमावली, 1955 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) द्वारा संचालित है, एवं

(छ) जिन कर्मकारों पर तृतीय वेतन मण्डल के अनुसार वेतनमान लागू नहीं थे, पर लागू नहीं होगा।

● कर्मकारों की श्रेणी–

(क) ऑपरेटिव–अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल 'ख', कुशल 'क', अतिकुशल,

(ख) लिपिकीय श्रेणी–चार, लिपिकीय श्रेणी–तीन, लिपिकीय श्रेणी–दो, लिपिकीय श्रेणी–एक,

(ग) पर्यवेक्षक श्रेणी (ग), श्रेणी (ख), श्रेणी (क):–

वेतनमान ढाँचा

क्र0 सं0	श्रेणी	पुनरीक्षित वेतनमान (₹ में)	क्र0 सं0	श्रेणी	पुनरीक्षित वेतनमान (₹ में)
1.	अकुशल	9,300–19,060	7.	लिपिक, तृतीय	11,700–23,950
2.	अर्द्धकुशल	9,800–20,110	8.	लिपिक, द्वितीय	12,700–25,990
3.	कुशल 'ख'	11,700–23,950	9.	लिपिक, प्रथम	13,500–27,610
4.	कुशल 'क'	11,700–23,950	11.	पर्यवेक्षकीय–'ग'	13,500–27,610
5.	अतिकुशल	12,700–25,990	11.	पर्यवेक्षकीय–'ख'	13,900–28,410
6.	लिपिक चतुर्थ	11,700–23,950	12.	पर्यवेक्षकीय–'क'	14,600–29,830

● परिवर्तनीय महंगाई भत्ता–

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960–100) के त्रैमासिक औसत अंक में से 1563 अंक को कम करने के उपरान्त अन्तर को 100 से गुणा कर तथा 1563 से विभाजित कर, उसमें से 150 घटाने पर जो अंक प्राप्त होगा, मूलवेतन का उतना प्रतिशत महंगाई भत्ता आगणित किया जायेगा।

$$\text{अक्टूबर, 2015 में परिवर्तनीय महंगाई भत्ता} = \frac{\text{मूलवेतन का } [(5950-1563)\times 100]}{1563} - 150$$

= 130.68 अर्थात् 131 प्रतिशत देय होगा।

उक्त महंगाई भत्ते का आगणन पूर्ववत् त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा अर्थात् परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर की प्रथम तिथि को देय होगा, जो कि क्रमशः विगत वर्ष के माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर, दिसम्बर, चालू वर्ष के जनवरी तथा फरवरी, मार्च, अप्रैल तथा मई, जून, जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर किया जायेगा।

● वार्षिक वेतनवृद्धि–

पुनरीक्षित वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 अक्टूबर को देय होगी। वार्षिक वेतन की दर, मूल वेतन की 3 प्रतिशत रखी गयी है, जो कि ₹ दस पर पूर्णांकित होगी, जिसका आगणन निम्न प्रकार है:–

दृष्टांत (1) अकुशल श्रेणी :

मूल वेतन = ₹ 9,300

वार्षिक वेतन वृद्धि 3% = ₹ 279

इस प्रकार वार्षिक वेतनवृद्धि की दर ₹ दस पर पूर्णांकित करने के पश्चात् ₹ 280 होगी।

दृष्टांत (2) अर्द्धकुशल श्रेणी :

मूल वेतन = ₹ 9,800

वार्षिक वेतन वृद्धि 3% = ₹ 294

इस प्रकार वार्षिक वेतनवृद्धि की दर ₹ दस पर पूर्णांकित करने के पश्चात् ₹ 300 होगी।

कैलेण्डर वर्ष 2015 में जिन कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि 01 अक्टूबर से पूर्व मिल रही है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान में फिटमेण्ट करते समय कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी एवं जिन कर्मचारियों को 01 अक्टूबर के पश्चात् वार्षिक वेतनवृद्धि मिलनी है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान में फिटमेण्ट करते समय पूर्व वेतनमान की एक वार्षिक वेतनवृद्धि दी जायेगी परन्तु जो कर्मचारी अपने वेतनमान में अधिकतम पर पहुँच चुके हैं अथवा जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि में रोक लगी है, वे इसके पात्र नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि पर लगी रोक को समाप्त करने के उद्देश्य से पुनरीक्षित वेतनमान का पर्याप्त विस्तार किया गया है।

प्रोन्नति/समयमान वेतनमान प्रदान करते समय भी उच्चतर वेतनमान में फिट करने के पश्चात् उच्चतर वेतनमान की एक वेतनवृद्धि प्रदान की जायेगी परन्तु जिनका वेतन उच्चतर वेतनमान से कम हो रहा हो अथवा फिट नहीं हो पा रहा हो, तो उक्त दशा में उन्हें उच्चतर वेतनमान में न्यूनतम स्तर पर फिट किया जायेगा तथा कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

● उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.10.2015 से लागू होंगे:–

पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण निम्न दृष्टान्तानुसार किया जायेगा–

दृष्टांत (1) अकुशल श्रेणी :

वर्तमान प्राप्त मूल वेतन+महंगाई वेतन (50%)	=	₹ 6,188
उपरोक्त का 50%	=	₹ 3,094
योग	=	₹ 9,282
पुनरीक्षित वेतनमान में उसका मूल वेतन ₹ 9,300 होगा		

दृष्टांत (2) अर्द्धकुशल श्रेणी :

वर्तमान प्राप्त मूल वेतन+महंगाई वेतन (50%)	=	₹ 6,525
उपरोक्त का 50%	=	₹ 3,263
योग	=	₹ 9,788
पुनरीक्षित वेतनमान में उसका मूल वेतन ₹ 9,800 होगा		

● सामान्य अनुदेश–

(1) यह आदेश, उत्तराखण्ड वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत कार्मिकों हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 1110/VIII/12–515/(रिट)/2005, दिनांक 21.08.2012 तथा शासनादेश संख्या 598/XIV–2/2014–265/2014, दिनांक 13 जून, 2014, को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जा रहा है।

(2) चीनी कारखानों तथा सम्बद्ध इकाइयों में कार्यरत सभी कर्मकार अधिकतम कार्यक्षमता का उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन करेंगे और उत्पादकता बनाये रखेंगे।

(3) कर्मकारों एवं कारखाने के वृहदहित में इकाई की वित्तीय दशा की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार के आदेशों के अधीन किसी स्तर पर महंगाई भत्ते का निश्चलीकरण किया जा सकता है किन्तु पहले से दिये जा रहे महंगाई भत्ते को कम नहीं किया जायेगा।

(4) ऐसे सभी कर्मकार अथवा बहुआयामी व्यक्तित्व बनाये रखने हेतु कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार एवं नवीनतम तकनीक हेतु सदैव तत्पर रहेंगे, जिससे उद्योगों का विकास हो सके।

(5) ऐसे सभी कर्मकार अपने नियोजन के दौरान अनुशासन एवं कार्यकुशलता का उच्चतम स्तर बनाये रखेंगे, जिससे सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रह सकें।

(6) पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार मजदूरी व भत्तों की दरों की प्रसुविधायें दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से संदाय होगी और 30 सितम्बर, 2020 तक लागू रहेंगी।

(7) यह आदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और सभी सुविधायें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन माह के अन्तर्गत दी जायेगी।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
अपर सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

30 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 2911/X–1–2016–04(26)/2008 टी0सी0–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–3 में अंकित तिथि से वन संरक्षक, पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	प्रोन्नति की तिथि
1	2	3
1.	श्री एच0 के0 सिंह, 2001	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
2.	श्री मान सिंह, 2002	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
3.	डॉ0 दिवाकर सिन्हा, 2002	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
4.	श्री रमेश चन्द्र, 2002	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
5.	श्री प्रसन्न कुमार पात्रों, 2003	01 जनवरी, 2017 अथवा उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
6.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, 2003	01 जनवरी, 2017 अथवा उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

30 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 2912/X–1–2016–04(26)/2008 टी0सी0–भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से उप वन संरक्षक (चयन श्रेणी), पे बैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1.	श्री एच0 के0 सिंह	2001	01 जनवरी, 2014
2.	श्री मान सिंह	2002	01 जनवरी, 2015
3.	डा0 दिवाकर सिन्हा	2002	01 जनवरी, 2015
4.	श्री रमेश चन्द्रा	2002	01 जनवरी, 2015
5.	श्री अशोक कुमार गुप्ता	2003	01 जनवरी, 2016
6.	डॉ0 धीरज पाण्डे	2004	01 जनवरी, 2017
7.	श्री टी0 आर0 बीजूलाल	2004	01 जनवरी, 2017
8.	श्री राहुल	2004	01 जनवरी, 2017

आज्ञा से,

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 जनवरी, 2017 ई0 (माघ 01, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 29, 2016

No. 319/UHC/XIV-a/43/Admin.A/2015--Ms. Mamta Pant, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 02 days *w.e.f.* 07.12.2016 to 08.12.2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

19 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 952 / अधि0 / दो–161 / 2016–विभागीय पदोन्नति चयन समिति की बैठक दिनांक 21.11.2016 में की गयी संस्तुति के क्रम में सम्भागीय संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत श्री श्याम सिंह लटवाल, प्रशासनिक अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड वेतन ₹ 4,800) के पद पर प्रोन्नत करते हुए, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात किया जाता है।

2. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है एवं उन्हें किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

3. सम्बन्धित अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रहेंगे।

अतः सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी को सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

सी0 एस0 नपलच्याल,

परिवहन आयुक्त।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

24 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2037/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या UP26-8343(HGV), मॉडल 1998, चेसिस 359352KTQ127886, इंजन नं0 697D28KTQ149274, इस कार्यालय अभिलेखानुसार (पंजीयन पंजिका अनुसार) वाहन स्वामी श्री सुभाष चन्द्र कटोच पुत्र श्री हमीर चन्द्र कटोच, मकान संख्या 82, शास्त्री नगर, वार्ड नं0 03, टनकपुर, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 03.11.2016 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24.12.2016 को वाहन संख्या UP26-8343(HGV), मॉडल 1996, चेसिस 359352KTQ127886 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

29 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2059/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या HR38BG-6303 (HGV), मॉडल 1997, चेसिस 360044DS8713457, इंजन नं0 697D24S8745616, इस कार्यालय अभिलेखानुसार (पंजीयन पंजिका अनुसार) वाहन स्वामी श्री सुनील कुमार मित्तल पुत्र श्री कृष्ण लाल मित्तल, निवासी नवगवॉ ठग्गू, पोस्ट खटीमा, ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। दिनांक 05.10.2016 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28.12.2016 को वाहन संख्या HR38BG-6303 (HGV), मॉडल 1997, चेसिस 360044DS8713457 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 2064/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या HR47-4488 (HGV), मॉडल 1996, चेसिस 109695, इंजन नं0 117120, इस कार्यालय अभिलेखानुसार (पंजीयन पंजिका अनुसार) वाहन स्वामी श्री एच0 एन0 यादव पुत्र श्री धनी यादव, निवासी हनुमान मन्दिर, वार्ड नं0–8, खटीमा, ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। दिनांक 07.10.2016 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28.12.2016 को वाहन संख्या HR47-4488 (HGV), मॉडल 1996, चेसिस 109695 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी

कार्यालय आदेश

30 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 616/पंजी0 नि0/2016–वाहन संख्या UK10CA-0162 D. VAN, मॉडल 2011, चेसिस नं0 MA1LT2FWTB5K47624, इंजन नं0 11J9136661, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री मुकेश राणा पुत्र श्री पूरण सिंह राणा, ग्राम चिणाखोली, पो0 ऑ0 बोन, जिला उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 25.10.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा चेसिस नं0 वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर दिनांक 31.12.2016 तक वैध है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, आनन्द कुमार जायसवाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं0 UK10CA-0162 D. VAN, मॉडल 2011, चेसिस नं0 MA1LT2FWTB5K47624, इंजन नं0 11J9136661 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आनन्द कुमार जायसवाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

24 दिसम्बर, 2016 ई0

पत्र संख्या 1086/सा0 प्रशा0/नोटिस/2016–17–वाहन संख्या डी0एल0 04एसबीटी–8959 (मोटर साइकिल) का चालान दिनांक 12.04.2016 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा एल्कोहल का सेवन कर वाहन संचालन के अभियोग में किया गया है, जिसकी पुष्टि मेडिकल परीक्षण पर भी पाई गई। उक्त अनियमित्ता के कारण प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री पंकज भट्ट पुत्र श्री अर्जादत्त भट्ट, निवासी म0 नं0 41, ग्राम नाथुपुर, लालपानी, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520090003635, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है। लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 04/सा0प्रशा0/लाइसेन्स–नोटिस/2015–16, दिनांक 16.04.2016 व पत्रांक 78/सा0प्रशा0/लाई0 नोटिस/2016–17, दिनांक 30.04.2016 प्रेषित किया गया है। चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 24.12.2016 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई।

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0–1520090003635 को दिनांक 24.12.2016 से दिनांक 23.06.2017 तक छः माह की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ।

रावत सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार, गढ़वाल।

कार्यालय प्रधानाचार्य, रा0इ0का0, आराकोट, उत्तरकाशी

कार्यभार मुक्त आदेश

22 दिसम्बर, 2016 ई0

आदेश संख्या 150–17/2016–17–उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित के आदेश संख्या 1050/XXiV–नवसृजित/2016–13(03)/2016 देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन में श्री राकेश कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाचार्य, रा0इ0का0, आराकोट, उत्तरकाशी को अपने ही मौलिक पद के वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400) पर प्रभारी प्रधानाचार्य के पद के कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाहन हेतु नितान्त अस्थायी एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत रा0इ0का0, सोरना डोबरी, देहरादून में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण होने के कारण आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न में नवीन विद्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

कार्यभार ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य
ह0 (अस्पष्ट),
रा0इ0का0, आराकोट
(उत्तरकाशी)।

कार्यमुक्त प्रधानाचार्य
ह0 (अस्पष्ट),
रा0इ0का0, आराकोट
(उत्तरकाशी)।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित

कार्यालय–ज्ञाप

21 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1050/XXiV–नवसृजित/2016–13(03)/2016–तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित प्रभारी प्रधानाचार्य को अपने ही मौलिक पद के वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400) पर प्रभारी प्रधानाचार्य के पद के कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन हेतु नितान्त अस्थायी एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं के अनुरोध पर स्तम्भ–04 में उल्लिखित रिक्त स्थान पदस्थापित कर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01.	श्री राकेश कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाचार्य	रा0इ0का0, आराकोट, उत्तरकाशी	रा0इ0का0, सोरना डोबरी देहरादून	रिक्त पद पर

2. संबंधित कार्मिक यह आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित करेंगे।

3. उक्त कार्मिक को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

महिमा,
उप सचिव।

कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्, देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

02 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 1516/परिषद्–उपाध्यक्ष (कनि0)/2016–17–युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 698/VI–2/2016–37 (युवा कल्याण) 2001, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के द्वारा "उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्" में उपाध्यक्ष (कनिष्ठ) नामित किये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 के पूर्वाह्न में उपाध्यक्ष (कनिष्ठ), उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् के पद का कार्यभार/पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

अयाजुउद्दीन सिद्दकी,

उपाध्यक्ष (कनिष्ठ),

उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यभार प्रमाण–पत्र

02 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 1517/परिषद्–2987/2016–17–युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 687/VI–2/2016–37 (युवा कल्याण) 2001, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 एवं संख्या 691/VI–2/2016–37 (युवा कल्याण) 2001, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के द्वारा "उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्" में सदस्य नामित किये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा आज दिनांक 02 जनवरी, 2017 के पूर्वाह्न में सदस्य, उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् के पद का कार्यभार/पदभार ग्रहण कर लिया गया है।

राजेन्द्र धवन,

सदस्य,

उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।